

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1327 / 2024      दिनांक ०४.०४.२०२४

श्रीमती अर्चना गुप्ता (RJ00762), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-द्वितीय को दिनांक 06.01.2024 से 14.03.2024 तक 69 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती गुप्ता की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जयपुर महानगर-द्वितीय ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-द्वितीय के पद पर ही की गई।

क्रमांक:-स्था.बी.2(4) / 45 / 2013 / 2307      दिनांक ०५.०४.२०२४

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय को उनके पत्रांक 1451 दिनांक 15.03.2024 के सन्दर्भ में।
- श्रीमती अर्चना गुप्ता (RJ00762), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-द्वितीय।
- अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-द्वितीय।
- अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जयपुर महानगर-द्वितीय।

आज्ञा से  
रजिस्ट्रेटर (वर्गीकरण)  
06.04.2024]

दिनांक ०५.०४.२०२४

सहायक राजस्ट्रार  
[Signature]